अज अदालत राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

तिथि पेशी	हुक्म या कार्यवाही मय हस्ताक्षर श्री एस0पी0 औझा श्री हसन खान 01 जी0ए0 2	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील जारी हुए
	महफूल बनाम जमना वगैरह(2025/585)	
07.01.2026	पत्रावली पेश की गई। अभिभाषक उभयपक्ष उपस्थित। अभिभाषक उभयपक्ष को प्रार्थना पत्र स्थगन पर सुना गया। पत्रावली वास्ते आदेशार्थ दिनांक 19.01.2026 को पेश हो। राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर	
19.01.2026	पत्रावली वास्ते आदेशार्थ पेश की गई। अभिभाषक उभयपक्ष को दिनांक 07.01.2026 को प्रार्थना पत्र स्थगन पर सुना गया। अभिभाषक अपीलांट ने दौराने बहस प्रार्थना पत्र स्थगन बाबत निवेदन किया प्रार्थीया ने विद्वान सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, मसूदा के समक्ष प्रार्थना पत्र में अंकित किया कि पैतृक सम्पत्ति का कई वर्षो पूर्व समाजिक स्तर पर बंटवारा कर दिया गया था। जिसके पश्चात प्रार्थीया द्वारा अपने हिस्से में आये भूमि पर रूपये खर्च करके भूमि को उपजाउ एवं कीमती बनाया गया है दूसरी तरफ प्रार्थीया/रेस्पोडेंट विवादित संयुक्त आराजी कहकर आ रही है दोनो ही कथन आपस में विरोधाभासी हे उसके बावजूद ऐसे प्लीडिंग पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अंतरिम अस्थायी निषेधाज्ञा पारित करने में भारी भूल की है। यह कि एक सहखातेदार दूसरे खातेदार के विरूद्ध किसी भी प्रकार की अस्थायी निषेधाज्ञा प्राप्त नही कर सकता साथ ही बिना विभाजन कराये किसी भी संयुक्त खातेदार को अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद नहीं किया जा सकता है। प्रार्थी/रेस्पोडेन्ट ने प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर विवादित आराजी को पैतृक सम्पत्ति होना बताया लेकिन उक्त बाबत कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नही की है जो इस बात की ताईद करती हो कि विवादित आराजी पैतृक सम्पत्ति हो। अपीलांट ने यह भी निवेदन किया कि विवादित आराजीयात पैतृक सम्पत्ति नही है बल्कि खरीदशुदा है। उसके बावजूद विद्वान सहायक कलक्टर एव उपखण्ड अधिकारी, मसूदा ने एक सहखातेदार के विरूद्ध अस्थायी निषेधाज्ञा पारित करने में भारी भूल की है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर विद्वान सहायक कलक्टर एव उपखण्ड अधिकारी, मसूदा के अन्तरिम अस्थायी निषेधाज्ञा आदेश दिनांक 19.11.2025 को स्थगित किये जाने के आदेश प्रदान करावें। अभिभाषक अपीलांट ने अपने समर्थन में डी0एन0जे0 2014 (1) पजे संख्या 35, आर0आर0डी0 1977 पेज संख्या 470, आर0आर0डी0 1985 पेज 351 के न्यायिक दृष्टांत पेश किये। अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 01 ने दौराने जवाब निवेदन किया कि उक्त अपील अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 19.11.2025 के विरूद्ध पेश की है। उक्त आदेश अंतरिम स्थगन आदेश के विरूद्ध पेश की है। अपीलांट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष किसी भी प्रकार का कोई जवाब पेश नहीं कर, पेशी से पूर्व ही अपील प्रस्तुत की है। जहां भूमि के खुर्द–बुर्द होने की संभावना हो वहां विवादित आराजीयात की यथास्थिति बनाये रखे जाने के आदेश दिये जाने से वाद की बाहुल्यता बढने की संभावना बढती है। अतः अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्थगन खारिज किया जावें। हमने अभिभाषक उभयपक्ष द्वारा प्रार्थना पत्र स्थगन पर की गई बहस पर मनन किया एवं प्रार्थना पत्र स्थगन एवं अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 19.11.2025 एवं अपील का अवलोकन किया गया। बाद अवलोकन हमने पाया कि रेस्पोडेन्ट संख्या 1/प्रार्थी द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष दिनांक 19.11.2025 को प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर	

लगातार---

Scanned with CamScanner

अज अदालत राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

महबूब v/s जमना कॉलेज

585/2025/

लगातार---	राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत पेश किया गया जिसे प्रार्थी की एकपक्षीय बहस सुनी जाकर आगामी पेशी तक अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की है। अपीलांट द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का कोई जवाब पेश नहीं किया गया। अपीलांट जो उक्त अपील के माध्यम से पेश रहे है वे अपने जवाब के द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर अनुतोष प्राप्त कर सकते है। प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम विचाराधीन है जिसका अंतिम निस्तारण भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा किया जाना है। अतः हम पक्षकारान के आर्थिक व्ययता एवं समय को मध्येनजर रखते हुए अपील इसी स्तर पर निर्णित की जाकर अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाना न्यायोचित समझते है। **अतः अपील निर्णित की जाकर, प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, मसूदा को इस आशय से प्रतिप्रेषित किया जाता हैं कि वे उभयपक्षकारान को जवाब/सुनवाई का समुचित अवसर देते हुए इन तथ्यों को ध्यान में रखते हुए कि रेस्पोडेन्ट ने भी उक्त भूमि पूर्व में अविभाजि रूप से खरीद की है एवं अपीलांट ने भी अविभाजित रूप से क्रय की है। दोनो ही पक्षों ने भूमि अविभाजित क्रय की है एवं दोनो ही सहखातेदार है तथा क्या एक सहखातेदार को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जा सकता है। इन सब तथ्यों पर गौर करते हुए प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तीनों बिन्दुओं यथा प्रथम दृष्टया प्रकरण, सुविधा का संतुलन एवं अपूर्णीय क्षति का विस्तृत विवेचन करते हुए 30 दिवस में गुणावगुण पर अंतिम निस्तारण आवश्यक रूप से करें। आदेश की प्रति अधीनस्थ न्यायालय को भिजवायी जावें। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हो।** राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर

Scanned with CamScanner

न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी, अजमेर

ब्यावर /अपील / टी.ए संख्या ....585 /2025

-----

1. श्रीमति महफूल पत्नि श्री बाबू जाति मेहरात निवासी ग्राम गुवाडिया तहसील मसूदा जिला ब्यावर।

---- अपीलांट

बनाम्

1. श्रीमति जमना पत्नि श्री जफरू जाति मेहरात निवासी ग्राम गुवाडिया तहसील मसूदा जिला ब्यावर।
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार एवं श्रीमान् उप पंजीयक महोदय तहसील कार्यालय मसूदा जिला ब्यावर।

585/2025
26/12/25

--------- वादी / रेस्पोडेन्ट

अपील अंतर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध आदेश विद्वान सहायक कलक्टर महोदय, एवं उपखण्ड अधिकारी मसूदा जिला ब्यावर दिनांक 19.11.2025 प्रार्थना पत्र संख्या 156/2025 पारित किया गया।

महोदय जी,

अपीलांट की ओर से निम्न निवेदन है कि :-

(क) यह है कि वादी/ रेस्पो. संख्या 1 ने एक राजस्व विद्वान उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर महोदय, मसूदा जिला ब्यावर के न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम धारा 53, 188, बाबत् विभाजन व स्थायी निषेधाज्ञा हेतु प्रतिवादी/ अपीलांट एवं अन्य रेस्पो. के विरूद्ध प्रस्तुत कर निवेदन किया

Scanned with CamScanner